न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 55/11

मुकेश कुमार पुत्र मोती लाल जाति धाकड निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ईश्वरी लाल पुत्र मोती लाल
2. निरंजन कुमार पुत्र मोती लाल
3. प्रीतम कुमार पुत्र मोती लाल समस्त जाति धाकड निवासीगण ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद ।
4. श्रीमती रामकन्या बेवा मोती लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. लीला (नाम तर्क)
   4/2. कौशल्या (नाम तर्क)
   4/3. चन्द्रकान्ता (नाम तर्क)
   4/4. मंजू (नाम तर्क)

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद की आराजी कुल किता 17 की कुल रकबा 8.08 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण क्रम 1 से 4 के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और न ही उक्त कृत्य अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.07.2011 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2011 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मोतीलाल के खाते दर्ज शुदा वादग्रस्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक केवल मात्र अपीलान्ट को ही उत्तराधिकारी हक होते हुए भी ग्राम पंचायत श्यामपुरा से पूर्णतः गलत तौर पर तस्दीकशुदा फौती इंतकाल नं0 446 दिनांक 31.05.2000 के आधार पर ही स्व0 मोतीलाल के जीवनकाल में समस्त पैतृक सम्पत्ति से अपना हिस्सा प्राप्त कर चुके रेस्पोडेन्टान क्रम 1व 2 का भी 2/9 अविभाजित हिस्सा होना मानकर उन्हें वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार होने के आधार पर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया । स्व0 मोतीलाल पिता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 3 के बीच सन् 1974 में सक्षम राजस्व न्यायालय से पारित विभाजन डिक्री के मुताबिक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 को 56 बीघा 19 बिस्वा तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को भी 56 बीघा 19 बिस्वा एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 3 को 57 बीघा भूमि दी जाकर पिता मोतीलाल के हक में केवल 56 बीघा 19 बिस्वा भूमि रखी गई थी तथा उक्त विभाजन के बाद अपीलान्ट वादी पुत्र का जन्म होने से पिता मोतीलाल के हिस्से व पृथक खाते की कुल 56 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर कानूनन अपीलान्ट वादी कोई उत्तराधिकार हक बनता है । उक्त आधार पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के अलावा अन्य वारिसान मोतीलाल द्वारा अपीलान्ट वादी से कोई हक क्लेम नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 प्रतिवादीगण द्वारा गैर कानूनी रूप से उक्त भूमि में 2/9 हिस्सा क्लेम करने व त्रुटिपूर्ण इंतकाल नं0 446 दर्ज हो जाने मात्र से ही उन्हें सहखातेदार होना मानकर अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करने में त्रुटि की है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्याालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2011 निरस्त कर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार कर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है और एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है और न ही सुविधा का

संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2011 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट ने अपना कब्जा होना कथन किया है ।

9. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना कथन किया है और रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है । दौराने वाद यदि रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि से अपीलान्ट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी । ऐसी स्थिति में हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2011 निरस्त किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं रेस्पोडेन्टगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावें ।

11. निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा